न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, हरदोई।

विशेष परिवाद संख्या– 315/2018

श्यामलाल बनाम हरिवंश सिंह आदि

दिनांक 02.03.2019

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की तलबी के बिन्दु पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी ने अपने प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. में उल्लेख किया है कि वह अनुसूचित जाति चमार बिरादरी का व्यक्ति है। विपक्षीगण सरदार सवर्ण जाति के दबंग व्यक्ति हैं। प्रार्थी की पैत्रक भूमि गाटा सं0 2337 विपक्षीगण के गांव में स्थित है, जो प्रार्थी व उसके एक अन्य भाई रामलाल के नाम है। रामलाल की मृत्यु हो चुकी है। उक्त विपक्षीगण का खेत प्रार्थी के उक्त खेत के दक्षिण है। विपक्षीगण ने कई बार प्रार्थी के खेत की दक्षिण तरफ की मेड़ को तोड़कर अपने खेत में मिलाने का प्रयास किया। प्रार्थी का खेत गांव अब्दुल्लानगर के इजाद के पास बटाई पर है। प्रार्थी ने अपने उक्त खेत में धान की बेड़ व ज्वार बुवाया है। दिनांक 29.05.2018 को समय करीब 8 बजे सुबह प्रार्थी के लड़के ओमप्रकाश को इजाद ने फोन करके बताया कि तुम्हारे खेत की दक्षिण मेड़ को तोड़कर जबरदस्ती तुम्हारे खेत को उपरोक्त विपक्षीगण कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रार्थी तत्काल 9 बजे सुबह अपने साथ अपने लड़के ओमप्रकाश व भतीजे प्रभूदयाल को लेकर खेत पर गया। उक्त सभी लोग मौके पर मौजूद थे। प्रार्थी व साथ गये लोगों को देखते ही कहा कि साले चमारों आज सालों को सभी को मारकर खेत में गाड़ दूंगा। यहां से भाग जाओ, अन्यथा जिंदा नहीं बचोगे, सभी विपक्षीगण के पास कटारें व तलवार थीं। प्रार्थी ने गाली देने से मना किया तो प्रार्थी व साथ गये लोगों को विपक्षीगण ने लात घूसों से मारापीटा। प्रार्थी व साथी लोगों के शोर करने पर पहले से मौजूद इजाद व पास पड़ोस के हरभजन सिंह व बहुत से लोग आ गये, जिन्होंने बचाया। उक्त सभी लोगों ने कहा कि आज सालों चमरवों को मारपीट कर छोड़ दिया, जल्दी ही दोबारा तुम्हारे खेत पर कब्जा करके अपने खेत में मिला लूंगा। मेरा कुछ नहीं होगा, तुम्हें जो भी करना हो करो तथा साथ यह भी कहा कि थाने गये तो रास्ते में घेरकर मार दूंगा। मारपीट में आई चोटों का प्रार्थी गरीबी के कारण मेडिकल नहीं करा पाया। विपक्षी हरिवंश सिंह ने प्रार्थी के ऊपर जान से मारने की नीयत से तलवार से वार किया। प्रार्थी किसी तरह बच गया। तब प्रार्थी ने उच्चाधिकारियों को प्रार्थनापत्र दिये, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

परिवादी के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया

तथा परिवादी का बयान अंतर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत गवाहान हरभजन सिंह एवं इजाद अली का बयान अंतर्गत धारा 202 दं.प्र.सं. अंकित किया गया।

परिवादी ने अपने बयान अंतर्गत धारा–200 दं.प्र.सं. में कथन किया है कि आज से पांच महीना पहले समय करीब 8 बजे सुबह एजाज उसे फोन करके बताया कि हरिवंश सिंह उसका खेत कब्जा कर रहा है। सूचना पाकर वह और उसका लड़का ओमप्रकाश व भतीजा प्रभूदयाल सीधे अपने खेत पर गये तो वहां देखे कि हरिवंश सिंह का पूरा परिवार सुखराज सिंह, सुखदेव सिंह आदि लोग थे, जिनका नाम याद नहीं है, करीब 7–8 लोग थे। उक्त सभी लोग अपने–अपने हाथों में तलवार व कटार लिए हुए थे और बोले कि सालो चमारों यहां आओगे तो तलवार से काटकर खेत में गाड़ देंगे। हरवंश सिंह ने उसकी गर्दन पर तलवार चलायी तो एजाज व हरभजन सिंह ने उसे खेतों में धकेल दिया तो वह बच गया। वह उपरोक्त लोगों द्वारा दी गयी धमकी से नहीं डरा और अपने खेत में गया और उपरोक्त लोगों ने उसे लात घूसों व डंडों से मारा पीटा। उसके बेटे व भतीजे को भी मारापीटा। किसी भी तलवार की कोई चोट नहीं आयी थी।

परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षीगण पी.डब्लू.–1 हरभजन सिंह एवं पी.डब्लू.–2 इजाद अली के द्वारा अपने–अपने बयान अंतर्गत धारा–202 दं.प्र.सं. में कथन किया गया है कि श्यामलाल की दक्षिणी मेड़ हरिवंश, सुखराज, जगवीर, करनवीर, हुकुम सिंह, राजवीर, मलकीत, सुखदेव फावड़ा से तोड़ रहे थे। तब श्यामलाल, ओमप्रकाश, प्रभूदयाल तीनों लोग आए, आने पर इन लोगों ने झगड़ा कर दिया। लात घूसों से हरिवंश वगैरह ने मारा था।

परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. में किये गये कथनों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि परिवादी के द्वारा स्पष्ट रूप से मात्र विपक्षीगण सुखराज सिंह एवं सुखदेव सिंह पर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा उसे तथा उसके पुत्र व भतीजे को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मारापीटा गया। अन्य विपक्षीगण के विरूद्ध परिवादी द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. में कोई कथन नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा उसके साथ हुए अपराध के सम्बंध में थाने पर शिकायत की गयी तथा उच्चाधिकारियों को प्रार्थनापत्र दिये गये, इसपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब परिवादी ने यह परिवादपत्र प्रस्तुत किया है। परिवादी के कथनों का खण्डन करने हेतु इस समय पत्रावली पर कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस स्तर पर परिवादी के कथनों को असत्य मानने का कोई आधार नहीं है। परिवादी व परिवादी के गवाहान के बयानों के मूल्यांकन से प्रथम दृष्टया इस स्तर पर अभियुक्तगण सुखराज सिंह एवं सुखदेव सिंह के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा–323 भा.द.सं. एवं धारा 3(1)आर अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि. का मामला बनता प्रतीत होता है, जिसके लिए अभियुक्तगण सुखराज सिंह एवं सुखदेव सिंह विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं। अभियुक्तगण सं01 एवं 3 ता 7 को प्रथम दृष्टया किसी अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है, तद्नुसार अभियुक्तगण सं01 एवं 3 ता 7 के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं.प्र.सं. निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण सं02 एवं 8 क्रमशः सुखराज सिंह एवं सुखदेव सिंह को धारा 323 भा.द.सं. एवं धारा 3(1)आर अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादी पैरवी तीन दिन के अंदर करते हुए गवाहों की लिस्ट दाखिल करे, साथ ही अभियुक्तगण के समन के साथ परिवादपत्र की प्रति भी दाखिल करे। अभियुक्तगण सुखराज सिंह एवं सुखदेव सिंह के विरूद्ध समन कार्यालय लिपिक जारी करना सुनिश्चित करे।

अभियुक्तगण सं01 एवं 3 ता 7 क्रमशः हरिवंश सिंह, तरनवीर सिंह, जगवीर सिंह, हुकुम सिंह, राजवीर सिंह एवं मलकीत सिंह के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं.प्र.सं. निरस्त किया जाता है।

प्रस्तुत विशेष परिवाद, विशेष परीक्षण के रूप में दर्ज हो।

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण सुखराज सिंह एवं सुखदेव सिंह दिनांक 16.04.2019 को पेश हो।

तद्नुसार प्रस्तुत विशेष परिवाद निस्तारित किया जाता है।

(जय प्रकाश पाण्डेय)
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.
(पी.ए.) एक्ट हरदोई।
02.03.2019